



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या- 369/2015.....जिला.....धौलपुर.....

उनवान-शीला शिक्षा समिति,मनियों द्वारा श्री भाईयालाल जैन,मनियों व अन्य बनाम राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक मनियों, जिला- धौलपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15.02.2016	<p style="text-align: center;">खण्डपीठ श्री मनोहर पुरी-सदस्य श्री ईश्वरी लाल वर्मा-सदस्य</p> <p>प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री अजयपाल ढिंढारिया एवं अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी ने अभिभाषक के जरिये विद्वान करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2016 को प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कमी मुद्रांक पर छूट प्रदान की हुई है, जिसका प्रार्थी पिटीशनर लाभ उठाना चाहता है तथा लाभ के तहत बकाया राशि तत्काल जमा कराने को तैयार है, जिसमें उपरोक्त उनवानी प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य शेष नहीं रहा है। अतः प्रकरण को आगे नहीं चलाने के कारण नोट-प्रेस में खारिज किए जाने का आदेश फरमाया जावे।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को नोट-प्रेस करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी निगरानीकर्ता जरिये अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत निगरानी संख्या 369/2015/धौलपुर को नहीं चलाने से खारिज की जाती हैं।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  15.2.2016 (ईश्वरी लाल वर्मा) सदस्य </div> <div style="text-align: center;">  15/02/2016 (मनोहर पुरी) सदस्य </div> </div>	